न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 22/2018

RCMS No. 2018/00355

अपीलाण्टः—	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. जगदीश पुत्र चुतरा जी		1. हेमराज पुत्र चुतरा जी
2. मिश्रीलाल पुत्र चुतरा जी		2. पारस पुत्र चुतराजी
3. दलीचन्द पुत्र चुतराजी जातिगण कलाल निवासीगण झाला की चौकी तहसील रायपुर		3. रतनलाल पुत्र भोमाराम
		4. अम्बालाल पुत्र जुगराज
		5. धर्मीचन्द पुत्र जुगराज जातिगण कलाल निवासीगण झाला की चौकी, तहसील रायपुर
		6. शिवराज पुत्र मूलाराम के का0मु0
		6.1 पानीदेवी पत्नी शिवराज
		6.2 भंवरलाल पुत्र शिवराज
		6.3 सम्पतराज पुत्र शिवराज
		6.4 मृत रामपाल पुत्र शिवराज के का0मु0
		6.4.1 मीना पत्नी रामपाल
		6.4.2 विरदीचन्द पुत्र रामपाल
		6.4.3 अमरचन्द पुत्र रामपाल
		6.4.4 दानमल पुत्र रामपाल जातिगण कलाल निवासीगण झाला की चौकी, तहसील रायपुर
		6.4.5 दिलखुश पुत्री रामपाल पत्नी पिन्टु जी जाति कलाल निवासी लाल मिल के पास, हनुमानजी की गली, जैतारण
		6.4.6 पूजा पुत्री रामपाल पत्नी नाथूलाल जी जाति कलाल निवासी साहरोट तहसील भीम जिला राजसमन्द
		6.5 कंकुदेवी पुत्री शिवराज पत्नी केसाराम जाति कलाल निवासी रामासनी बाला तहसील सोजत
		6.6 प्रेमदेवी पुत्री शिवराज पत्नी बस्तीराम जाति कलाल निवासी 68, तेली कॉलोनी, मण्डिया रोड, पाली
		6.7 छोटीदेवी पुत्री शिवराज पत्नी प्रहलाद जी जाति कलाल निवासी हडकों का पिपलिया, तहसील सोजत जिला पाली
		7. चम्पालाल पुत्र मूलाराम के का0मु0

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति० जिला कलेक्टर, पाली

7.1 मंगलीदेवी पत्नी चम्पालाल
7.2 सुनिता पुत्री चम्पालाल पत्नी केसूलाल के का0मु0
7.2.1 महेन्द्र पुत्र केसूलाल
7.2.2 तेजराज पुत्र केसूलाल जातिगण कलाल निवासीगण खोखरा
7.3 सुशीला पुत्री चम्पालाल पत्नी रमेश जी जाति कलाल निवासी बगडी नगर
7.4 मीरा पुत्री चम्पालाल जाति कलाल निवासी झाला की चौकी, रायपुर
7.5 बसन्ती पुत्री चम्पालाल जाति कलाल निवासी बोरनडी तहसील मा0जं0
8. नेमीचन्द पुत्र मूलाराम
9. आशाराम पुत्र मोहनलाल
10. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र मोहनलाल
11. सुखदेव पुत्र मोहनलाल
12. चान्दमल पुत्र मोहनलाल
13. गोरधन पुत्र मोहनलाल के का0मु0
13.1 विक्की पुत्र गोरधनजी
13.2 अरविन्द पुत्र गोरधनजी
13.3 आरती पुत्र गोरधन जी
13.4 डगरी पत्नी गोरधनजी रेस्पोडेन्ट संख्या 13/1 से 13/3 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता डगरी पत्नी गोरधन जी जाति कलाल निवासीगण झाला की चौकी, रायपुर
14. अमृत पुत्र ओमप्रकाश
15. लीला पत्नी ओमप्रकाश
16. पार्वती पुत्री ओमप्रकाश
17. श्यामलाल पुत्र सुवालाल
18. उदेराम पुत्र सुवालाल
19. मुकेश पुत्र सुवालाल
20. मंगलीबाई पत्नी सुवालाल
21. विमला पुत्री सुवालाल
22. जशोदा पुत्री सुवालाल
23. अनिता पुत्री सुवालाल
24. रमेश पुत्र चम्पालाल के का0मु0
24.1 अजय पुत्र रमेश
24.2 जीत पुत्र रमेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

24.3 पुजा पुत्री रमेश
24.4 कविता पुत्री रमेश
25. विनोद कुमार पुत्र चम्पालाल
26. बद्रीलाल पुत्र लादूराम
27. मांगीलाल पुत्र लादूराम
28. गंगाराम पुत्र लादूराम के का0मु0
28.1 कंचनदेवी पत्नी गंगाराम
28.2 मुकेश पुत्र गंगाराम
28.3 दिनेश पुत्र गंगाराम
28.4 जयमाला पुत्री गंगाराम पत्नी मुकेश जी जाति कलाल निवासी रामासनी बाला
28.5 मिनाक्षी पुत्री गंगाराम पत्नी खुशवन्त निवासी सिरीयादेवी मन्दिर के पास, सोजतरोड़ तहसील सोजत
29. हजारी पुत्र मंगला के विधिक वारिशान
29.1 बिलुडी पत्नी हजारी
29.2 मोहनलाल पुत्र हजारी
29.3 देवीलाल पुत्र हजारी
29.4 जयराम पुत्र हजारी
29.5 भाराराम पुत्र हजारी जाति गुर्जर निवासीगण झाला की चौकी, रायपुर
30. ओगडराम पुत्र तानूराम जाति डाकोत जोशी निवासी बिराटिया खुर्द तहसील रायपुर
31. लक्ष्मीदेवी पत्नी कमरसिंह जाति रावत निवासी जोड़ जवानगढ तहसील रायपुर
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/08/2018

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 को अपास्त कराने का निवेदन किया। इस पर अपील

अति० जिला कलक्टर, पाली

दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। उक्त भूमि पर समस्त खातेदार अपने अपने हिस्से अनुसार भौतिक रूप से काबिज काश्त है। विधि अनुसार आपसर सहमति बंटवाडा के लिए वादस्थ भूमि के सभी सह खातेदारान् की सहमति लिए जाने के विशिष्ठ आज्ञापक प्रावधान है, किन्तु अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सहमति लिए बिना ही तथा आपसी बंटवाडा हेतु आवेदन किए बिना ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलाण्ट कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नम्बर 1 पाली से सेवानिवृत कर्मचारी है। अपीलाण्ट जगदीश तथाकथित दिनांक 15.04.2004 को अपने कार्यालय में ड्यिूटी पर था, जो विभाजन हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ तथा न ही विभाजन हेतु कोई सहमति व्यक्त की, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के विभाजन हेतु आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 04.06.2018 को होना बताया, जबकि इससे पूर्व अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 14.11.2014 को कैम्प राजडिया में एक राजस्व वाद बंटवाडा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के पद संख्या 5 में अंकित तथ्यों के अनुसार दिनांक 04.06.2018 को जानकारी होना बताया। जबकि इससे पूर्व भूमि के संपरिवर्तन की कार्यवाही हुई, उसमें भी अपीलाण्ट ने सहमति व्यक्त की है। भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित होने के कारण भूमि का कुछ हिस्सा अवाप्त हुआ, जिसकी मुआवजा राशि भी अपीलाण्ट द्वारा प्राप्त की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट को भूमि के राजस्व रेकर्ड में हुए परिवर्तनों की बखूबी जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज़ की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 17, आर0आर0टी0 2011(2) पेज 1264, आर0आर0डी0 1992 पेज 304, आर0आर0टी0 2010 (1) पेज 310, आर0आर0टी0 2011 (1) पेज 421, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 786, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 851, आर0आर0टी0 2018 (1) पेज 188, आर0आर0टी0 2004 (1) पेज 19, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 1105, आर0आर0टी0 2003 (2) पेज 984, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 801, आर0आर0टी0 2002 (2) पेज 1228, आर0आर0टी0 2001 (2) पेज 855, डी0एन0जे0 2011

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति० जिला कलेक्टर, पाली

(2) पेज 903, आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 788 एवं डी0एन0जे0 2009 (2) पेज 664 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस के प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि इस भूमि के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन अवश्य है, किन्तु यह विशिष्ठ आदेश की अपील है। वाद के तथ्य इस आदेश के विपरित नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी सम्पूर्ण बहस में मियाद के बिन्दु को आधार लिया है, जबकि इस आदेश पर उन्होने कोई भी उज्र, एतराज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि उक्त आदेश तहसील कार्यालय के रेकर्ड में उपलब्ध ही नहीं है तथा न ही बंटवाडा रजिस्टर में इस आदेश का इन्द्राज है। इस प्रकार उक्त आदेश पूर्णतः फर्जी है, जिसे अपास्त कराने हेतु किसी भी रूप में मियाद बाधित नहीं है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाते हुए स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0आर0टी0 2013 (1) पेज 436 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथमतः मियाद के बिन्दु को निर्धारित किया जाना आवश्यक है। अपीलाण्ट द्वारा अपील के चरण संख्या 5 में जैर अपील आदेश की जानकारी दिनांक 04.06.2018 को होना जाहिर किया तथा इसी प्रकार के तथ्य परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में अंकित किए। इसके विरोध में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा यह कथन किया कि अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश की जानकारी पूर्व से ही रही है तथा इनके द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर रायपुर के समक्ष खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज कराने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्त सम्माननीय है तथा हस्तगत प्रकरण पर आंशिक रूप से चस्पा भी होते हैं, किन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि जिस आदेश के आधार पर राजस्व रेकर्ड में भूमि का विभाजन किया गया है, उस आदेश के सम्बन्धित रेकर्ड न तो तहसील कार्यालय में उपलब्ध है एवं न ही बंटवाडा रजिस्टर में ऐसा कोई इन्द्राज है। इस कारण उक्त आदेश स्वयं में विधि विरूद्ध पाया जाता है तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर यह अभिमत प्रकट किए गए है कि कपट के मामले में विलम्ब घातक नहीं है। इस सम्बन्ध में डब्ल्यू0एल0एन0 (राज.) 2001 (1) पेज 207 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा चिमनलाल व बन्य बनाम सरकार में यह अभिमत प्रकट किया कि "In view of the above discussion, we are of the openion that it is not the function of the Court to prescribe the limitation where the legislature in its wisdom had thought it fit not to prescribe any period. As held by Supreme Court in Ajaib Singh's case the corut only interpret law and do not make laws. Presonal view of the Judge presiding the Court cannot be stertched to authorise them to interpret law in such a manner whic, would amount to legisiation intentionally left over by the legidlature. Hence we are of the opinion that when no period of limitation under Rulw

अति० जिला कलेक्टर, पाली

272 of the Rules, 1961 is prescribed by the legislature then we cannot prescribe any period of limitation that in what time the revisional powers can be by the authority under Rule 272 of the 1961 Rules. When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like (1) when there is fraud plaed by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Order are against the public interest; (iv) the order are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provision of the Act by authoritise; and (vi) void orders or the orders are void at initio being against the public policy or otherwise. The common laaw doctrine of public policy can be enforced wherever an action affect/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powres can be exercised by the wuthority at aany time either suo moto or as and when such orders are brought to their notice'' इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि ''पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।'' अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

चूंकि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अपील के साथ तहसीलदार रायपुर के समक्ष जैर अपील आदेश की नकल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायपुर द्वारा यह अंकित किया कि जैर अपील आदेश तहसील कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा न ही बंटवाडा रजिस्टर में इसका इन्द्राज है। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति से खातेदारी जोत के विभाजन के प्रावधान है। ''आपसी सहमति'' शब्द से तात्पर्य यह है कि जो भी खातेदार है, वे भूमि के भौतिक रूप से एवं राजस्व रेकर्ड में विभाजन हेतु सहमत होना है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा उक्त दिनांक को तहसीलदार रायपुर के समक्ष उपस्थित नहीं होना जाहिर किया तथा इस तथ्य के समर्थन में चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं0 1 पाली द्वारा जारी उपस्थिति प्रमाण पत्र क्रमांक/126 दिनांक 06.06.2018 की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार दिनांक 15.04.2004 को जगदीशचंद्र औषधालय में ड्यूटी पर उपस्थित होना प्रमाणित किया है। इस प्रकार जब जैर अपील आदेश, जो कि आपसी सहमति से जारी किया जाना बताया है, उस दिनांक को अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं थे, तो बिना सहमति के धारा 53 (2) के तहत आदेश पारित ही नहीं किया जा सकता था। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत नियमित वाद ही समुचित उपचार था। इस प्रकार उक्त आदेश आरम्भ से ही शून्य प्रभावी पाया जाता है तथा इस प्रकार से पारित आदेश की पालना में तहरीर किए गए राजस्व रेकर्ड की प्रस्थिति भी शून्य प्रभावी है एवं ऐसे आदेश को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार रायपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2014 को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है, इस कारण प्रकरण को इस रूप में निर्णीत किया जाता है कि प्रकरण से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड में जैर अपील आदेश से पूर्व की प्रस्थिति बहाल करते हुए आगामी कार्यवाही न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 139/2014 हेमराज व अन्य बनाम रतनलाल व अन्य में होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रखी जाती है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्णय की सत्य प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/09/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली